महत्वपूर्ण/गो-सेवा

संख्या 2145/सैतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-3

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, (प्रशासन एवं विकास)
   पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

विषय-प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण में साइलेज के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ़ संकल्प है। इस हेतु शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02-01-2019 द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

2- पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु वर्षभर बराबर हरे चारे की उपलब्धता अतिआवश्यक है, परन्तु हमारे प्रदेश में जलवायु विविधता एवं क्षेत्र की भौगोलिक विविधता के कारण हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इस कारण पशुधन की उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है।

उल्लेखनीय है कि हरे चारे को एक निश्चित अवस्था में गड्ढे में दबाकर एनएरोबिक अवस्था में सुरक्षित रखने को इनसाइलिंग कहा जाता है। इस प्रकार जो वस्तु बनकर तैयार होती है उसे साइलेज कहते हैं। साइलेज बनाकर चारे को सुरक्षित रखने की पद्धति घास को सूखा कर रखने से अधिक अच्छा है। खराब मौसम में भी साइलेज बनाई जा सकती है।

3- एक अच्छी साइलेज का pH मान 3.5-4.2, साइलेज में शुष्क पदार्थ की 40% मात्रा तथा 25-30% ड्राई मैटर पाया जाता है। साइलेज बनाने के लिए ज्वार, मक्का की फसल उत्तम होती है। हरे चारे के अभाव में साइलेज से कमी पूरी होती है तथा व्यय भार भी कम होता है। वर्षा ऋतु में जब हे बनाना संभव नहीं होता है, तो साइलेज आसानी से बनाई जा सकती है। साइलेज सूखे चारे की अपेक्षा कम स्थान पर संरक्षित किया जा सकता है। साइलेज पौस्टिक अवस्था में 12-18 माह तक रखा जा सकता है, बशर्ते खोला न गया हो। यह जाड़े के दिनों में तथा चारे के अभाव में पशुओं को खिलाने हेतु उत्तम आहार है। साइलेज पशुओं को सालभर खिलाया जा सकता है। हरे चारे से बनाया गया साइलेज अपेक्षाकृत अधिक पाचक और पौष्टिक होने के कारण पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाता है तथा पशुओं को स्वस्थ भी रखता है।

4- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि गोवंश के भरण-पोषण हेतु सूखा भूसा, हरा चारा एवं संकेन्द्रित आहार के सापेक्ष, कतिपय ऋतुओं में हरे चारे की अनुपलब्धता होने की दशा में बड़े गोवंश को औसत 3 कि0ग्रा0 साईलेज, 02 कि0ग्रा0 सूखा भूसा एवं ½ (आधा) से 01 कि0ग्रा0 संकेन्द्रित आहार उपयोग में लाये जाने से जहां गोवंश के स्वास्थ्य एवं उपापचय में सुधार होगा, वहीं भूसे की कम आवश्यकता के कारण भण्डारण में भी सुविधा होगी तथा भरण-पोषण के आवश्यक अवयवों की उपलब्धता धनराशि रू0 50/- के अंतर्गत ही हो जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर साईलेज, हरा चारा, भूसा व दाना मिश्रण या किसी अन्य अवयव की उपलब्धता के आधार पर, उपरोक्त को कम या अधिक करने का निर्णय लिया जा सकता है। बशर्ते यह धनराशि रू0 50/- से कम न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्थानीय स्तर पर पशुओं के गोबर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का भी पशुओं को अत्यधिक पौष्टिक आहार देने में नवीन प्रयोग कर, किया जा सकता है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उपर्युक्तानुसार साइलेज का उपयोग बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 22-10-2024 18:58:52

(कु0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2145(1)/सैतीस-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।